

## स्टेट बैंक आफ इण्डिया के ए.टी.एम. के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य पावर वितरण कम्पनी के विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत देयकों के भुगतान की विशेष सुविधा

छत्तीसगढ़ राज्य पावर वितरण कम्पनी (पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल) के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के ए.टी.एम. कार्ड के माध्यम से विद्युत देयकों के भुगतान की विशेष सुविधा उपलब्ध है। स्टेट बैंक आफ इण्डिया के देश भर में फैले ए.टी.एम. नेटवर्क में से किसी भी ए.टी.एम. से छत्तीसगढ़ राज्य पावर वितरण कम्पनी के विद्युत उपभोक्ता अपने विद्युत देयकों का भुगतान कर सकते हैं। उपभोक्ता के लिए यह सुविधा निःशुल्क है।

इस सुविधा का लाभ लेने के लिए विद्युत उपभोक्ता (जिसके पास स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का ए.टी.एम. कार्ड है) को संबंधित स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की शाखा में एक बार पंजीयन कराना होगा। यह पंजीयन निःशुल्क है। पंजीयन हेतु विद्युत उपभोक्ता को एक फार्म में मॉगी गई जानकारीयों भरकर स्टेट बैंक की शाखा में पंजीयन हेतु जमा करना होगा। पंजीयन फार्म के साथ उपभोक्ता को निम्नलिखित दो दस्तावेज जमा करने होंगे।

1. भुगतान किए हुए बिजली बिल की फोटो कापी।
2. ए.टी.एम. कार्ड की फोटो कापी। ( केवल सामने के तरफ की फोटो कापी)

उपरोक्त दोनों दस्तावेजों की फोटो कापी उपभोक्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना आवश्यक है।

एक बार पंजीयन हो जाने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य वितरण कंपनी का विद्युत उपभोक्ता को हमेशा के लिए ए.टी.एम. के माध्यम से विद्युत देयकों के भुगतान करने की सुविधा प्राप्त हो जाएगी जिसका उपयोग करते हुए वह स्टेट बैंक इण्डिया में किसी भी ए.टी.एम. से अपने विद्युत देयकों का भुगतान अपनी सुविधानुसार जमा कर सकता है।